कार्यालय आत्मा, पूर्वी सिंहभूम

दिनांक 20.10.2021 को वित्तिय वर्ष 2021–22 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) योजना के तहत गठित जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति (DFSMEC) की बैठक की कार्यवाही ।

विगत वर्ष 2020–21 की उपलब्धि –

1. केन्द्र प्रायोजित योजना **National Food Security Mission (NFSM)** के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में किए गए गतिविधियों का लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि निम्न प्रकार है –

गतिविधियाँ	लक्ष्य (हे0)	उपलब्धि (हे0)
Cluster Demonstration -		
Arhar	50	50
Gram	40	40
Urad	30	30
Moong	05	05
Lentil	10	10
कुल :	**135**	**135**
Cropping Sequence -		
Paddy- Chick Pea	10	10
Paddy- Lentil	10	10
Paddy- Summer Moong	5	5
Urad- Chick Pea	10	10
Urad- Lentil	10	10
कुल :	**45**	**45**
Inter Cropping -		
Arhar + Maize	40	40
Arhar + Jowar	20	20
Arhar + Urad	20	20
कुल :	**80**	**80**
कुल दलहन प्रत्यक्षण :	**260**	**260**
गतिविधियाँ	लक्ष्य (सं0)	उपलब्धि (सं0)
कृषि यंत्र का वितरण	688	688
थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण	6	6

प्रस्ताव सं0 : 01– दलहन प्रत्यक्षण कार्यक्रम

जिला कृषि पदाधिकारी–सह–परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम ने बताया कि वर्ष 2021–22 में राज्य मिशन निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, झारखण्ड का पत्रांक 127 दिनांक 15.06.2021 के द्वारा **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन)** में **कुल 83.52665 लाख** राशि का वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत है।

जिला कृषि पदाधिकारी–सह–परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम ने बताया कि वर्ष 2021–22 हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) योजनान्तर्गत 11 प्रखण्डों में कुल 260 हेक्टर रकवा में प्रत्यक्षण का कार्य किया गया है। प्रखण्डवार किये गये प्रत्यक्षण का लक्ष्य निम्न प्रकार है –

फसलवार प्रत्यक्षण का नाम	जिला का लक्ष्य
Cluster Demonstration -	
Arhar	51 हेक्टर
Gram	33 हेक्टर
Urad	19 हेक्टर
Moong	12 हेक्टर
Lentil	12 हेक्टर
कुल :	**127 हेक्टर**
Cropping Sequence -	
Paddy- Chick pea	07 हेक्टर
Paddy- Lentil	06 हेक्टर
Paddy- Summer Moong	05 हेक्टर
Urad- Chick pea	08 हेक्टर
Urad- Lentil	08 हेक्टर
कुल :	**34 हेक्टर**
Inter Cropping -	
Arhar + Maize	30 हेक्टर
Arhar + Jowar	08 हेक्टर
Arhar + Urad	10 हेक्टर
कुल :	**48 हेक्टर**
कुल दलहन प्रत्यक्षण :	**209 हे0**

जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति से उपरोक्त लक्ष्य अनुसार प्रत्यक्षण कर उक्त मद में व्यय की स्वीकृति आपेक्षित है।

जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त कार्य संपन्न कर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव सं0 : 02– कृषि यंत्र वितरण

जिला कृषि पदाधिकारी–सह–परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम ने बताया कि NFSM Annual Action Plan 2021-22 के कंडिका 4 (a-d) में Farm Implements & Equipments मद के तहत 50 प्रतिशत अनुदान पर कृषि यंत्र एवं कृषि उपादान वितरण करने का प्रावधान है जो निम्नवत् है –

क्र0 सं0	कृषि यंत्र	अनुदान	इकाई (सं0)
1	बैटरी (पावर) चालित स्प्रेयर (केवल अ0जा0/अ0ज0जा0, लघु, सीमान्त, महिला कृषक एवं उत्तर–पूर्व राज्य के कृषकों के लिए) 8–12 लीटर	रू0 3,100 प्रति इकाई या लागत का 50% जो भी कम हो	41
2	बैटरी (पावर) चालित स्प्रेयर (अन्य कृषकों के लिए) 8–12 लीटर	रू0 2,500 प्रति इकाई या लागत का 40% जो भी कम हो	49
3	मैनुअल स्प्रेयर (केवल अ0जा0/अ0ज0जा0, लघु, सीमान्त, महिला कृषक एवं उत्तर–पूर्व राज्य के कृषकों के लिए)	रू0 750 प्रति इकाई या लागत का 50% जो भी कम हो	166
4	मैनुअल स्प्रेयर (अन्य कृषकों के लिए)	रू0 600 प्रति इकाई या लागत का 40% जो भी कम हो	125
5	रोटोवेटर (केवल अ0जा0/अ0ज0जा0, लघु, सीमान्त, महिला कृषक एवं उत्तर–पूर्व राज्य के कृषकों के लिए) 35 BHP से कम– 5 फीट	रू0 42,000 प्रति इकाई या लागत का 50% जो भी कम हो	2
6	रोटोवेटर (अन्य कृषकों के लिए) 35 BHP से कम– 5 फीट	रू0 34,000 प्रति इकाई या लागत का 40% जो भी कम हो	3
7	मल्टी क्रॉप थ्रेसर (अन्य कृषकों के लिए) 35 BHP से कम/4 टन प्रति घंटा क्षमता	रू0 80,000 प्रति इकाई या लागत का 40% जो भी कम हो	1
8	चिजल प्लॉव 20 BHP से कम(अन्य कृषकों के लिए) ट्रैक्टर चालित	रू0 8,000 प्रति इकाई या लागत का 40% जो भी कम हो	1
9	रिज्ड फैरो प्लांटर (केवल अ0जा0/अ0ज0जा0, लघु, सीमान्त, महिला कृषक एवं उत्तर–पूर्व राज्य के कृषकों के लिए) 20 BHP से कम	रू0 30,000 प्रति इकाई या लागत का 50% जो भी कम हो	1
10	सीड स्टोरेज बीन	लागत का 50% या रू0 1,000 प्रति इकाई जो भी कम	19
11	स्प्रींकलर सेट	रू0 19,542 से 21,901/– रू0 प्रति इकाई /हे0	2
12	पम्प सेट	रू0 10,000 प्रति इकाई या लागत का 50% जो भी कम हो	30
13	पाइप (जलस्रोत से पानी कृषि प्रक्षेत्र में ले जाने के लिए)	रू0 50/– प्रति इकाई HDPE पाइप रू0 35/– प्रति मीटर PVC पाइप और रू0 20/– मीटर HDPE कोटिंग की हुई। अधिकतम रू0 15,000/– का प्रति कृषक को देय या कृषक समूह/लाभुकों को देय	429 मीटर
14	मोबाइल रेन गन	रू0 28,681 से रू0 34,513/– प्रति हे0	1

क्र0 सं0	कृषि उपादान	अनुदान	इकाई (हे0)
(I)	**समेकित पोषक तत्व प्रबंधन –**		
1	माइक्रो न्युट्रिएंट	रू0 500 प्रति हेक्टर या लागत का 50% जो भी कम हो	351
2	जिप्सम / 80% WG सल्फर	रू0 750 प्रति हेक्टर या लागत का 50% जो भी कम हो	336
3	चूना	रू0 1000 प्रति हेक्टर या लागत का 50% जो भी कम हो	336
4	जैव उर्वरक	रू0 300 प्रति हेक्टर या लागत का 50% जो भी कम हो	131
(II)	**एकीकृत हानिकारक क़ीट प्रबंधन –**		
1	पौधा संरक्षण रासायन	रू0 500 प्रति हेक्टर या लागत का 50% जो भी कम हो	224
2	खरपतवार नाशक	रू0 500 प्रति हेक्टर या लागत का 50% जो भी कम हो	224

जिला कृषि पदाधिकारी–सह–परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम ने बताया कि कृषि यंत्र एवं कृषि उपादान का वितरण हेतु दैनिक समाचार पत्रों में कृषकों के लिए आवश्यक सूचना का प्रकाशन कर निम्नवत् शर्तों के आधार पर इच्छुक कृषकों को लाभान्वित किये जाने की कार्रवाई की जा रही है –

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के शर्त के अनुसार पूर्व के 03 वर्ष से कृषि विभाग से कोई लाभ जिन किसान को नहीं मिला है, कृषि यंत्र एवं कृषि उपादान प्राप्त करने के पात्र होंगे।
2. ''पहले आओ, पहले पाओ'' के आधार पर योग्य किसान को कृषि यंत्र एवं कृषि उपादान वितरण किया जाएगा।
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के शर्त के अनुसार 30% योग्य महिला किसानों को लाभान्वित करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
4. कृषक अपने माँग संबंधी आवेदन संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी / प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक / सहायक तकनीकी प्रबंधक / जनसेवक से अनुशंसा प्राप्त कर टोकन निर्गत होने के उपरांत ही कृषि यंत्र एवं कृषि उपादान प्राप्त करेंगे।
5. लाभुक कृषक को कृषि यंत्र एवं कृषि उपादान का निर्धारित पूर्ण राशि का भुगतान करना होगा। राज्य सरकार द्वारा जिला कृषि विभाग के माध्यम से लाभुक किसान को 50% अनुदान की राशि DBT के द्वारा उनके बचत बैंक खाता में वापस भुगतान कर दिया जाएगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) योजनान्तर्गत कृषि यंत्र का वितरण राज्य स्तर से चयनित आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा जिला पर अधिकृत उनके वितरक के माध्यम से आपूर्ति किया जाएगा एवं कृषि उपादान का वितरण राज्य स्तर से निविदा के माध्यम से चयनित आपूर्तिकर्त्ता एवं निर्धारित दर पर कृषि उपादान का वितरण जिले के अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशक डीलरों के माध्यम से किया जाएगा।

जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति द्वारा परियोजना निदेशक आत्मा, पूर्वी सिंहभूम को कृषि यंत्र एवं कृषि उपादान का वितरण कर उक्त मद की राशि व्यय करने की स्वीकृति दी जा सकती है।

जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त कार्य संपन्न कर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>प्रस्ताव सं0 : 03– प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम एवं अन्यान्य मद की राशि का व्यय</u>

जिला कृषि पदाधिकारी–सह–परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम ने बताया कि NFSM Annual Action Plan 2021-22 के कंडिका 4 (d) (i) में Project management team & misc. expenses at district level मद में कुल 14.50 लाख (चौदह लाख रूपये) राशि कर्णांकित है। उक्त मद की राशि का आंवटन जिला स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के गतिविधियों का क्रियान्वयन हेतु किया जाता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के गतिविधियों का क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर के पदाधिकारी/कर्मी एवं प्रखण्ड स्तर के प्रसार कर्मी जिम्मेदारी का वहन करते हैं। आत्मा कार्यालय में NFSM योजना के गतिविधियों से संबंधित कम्प्युटर कार्य, प्रिटिंग कार्य किये जाते है एवं पदाधिकारी/प्रसार कर्मियों के द्वारा योजनान्तर्गत गतिविधियों के संचालन, अनुश्रवण हेतु यात्रा, प्रक्षेत्र भ्रमण, दस्तावेजीकरण का कार्य किया जाता है जिसमें दो तकनीक सहायक , एक कन्सल्टेंट के मानदेय, यात्रा व्यय, किराये का वाहन, ईंधन व्यय, स्टेशनरी, कम्प्युटर कार्य, प्रिटिंग कार्य जैसे गैर आवर्ती (Non-Recurring) एवं पुनरावर्ती (Recurring) व्यय आते हैं।

जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति से Project management team & misc. expenses at district level मद की राशि कुल 14.50 लाख (चौदह लाख रूपये) राशि आवश्यकतानुसार व्यय करने की स्वीकृति आपेक्षित है।

जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त कार्य संपन्न कर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>प्रस्ताव सं0 : 04– Local Initiative मद की राशि का व्यय</u>

जिला कृषि पदाधिकारी–सह–परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम ने बताया कि NFSM Annual Action Plan 2021-22 के कंडिका 4 (e) (a) में Local Initiative मद के तहत 03 ईकाई में 30X30 Size का थ्रेसिंग फ्लोर का निर्माण किया जाना है जिसके लिए प्रति इकाई 1,15,000.00 के दर से 50 प्रतिशत अनुदान पर 57,500/– की दर से कुल 1.72500 लाख राशि कर्णांकित है। थ्रेसिंग फ्लोर हेतु कृषकों से अत्याधिक संख्या में एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक का अनुशंसित आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लाभुक कृषक का चयन करना कठिन हो जाता है। दैनिक समाचार पत्रों में "कृषकों के लिए आवश्यक सूचना" का प्रकाशन कर "पहले आओ, पहले पाओ" की निति पर कृषकों से आवेदन प्राप्त कर स्वीकृत किया जा सकता है।

जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति द्वारा उक्त कार्य को करने एवं परियोजना निदेशक आत्मा, पूर्वी सिंहभूम को राशि व्यय करने की स्वीकृति दी जा सकती है।

जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त कार्य संपन्न कर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

सभा के अंत में जिला कृषि पदाधिकारी–सह–परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

परियोजना निदेशक,
आत्मा, पूर्वी सिंहभूम।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,
आत्मा, पूर्वी सिंहभूम।

ज्ञापांक....352..../आत्मा, दिनांक....08.....वीं नवम्बर , 2021 ।

प्रतिलिपि : जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति (DFSMEC) के माननीय सभी सदस्यगण, पूर्वी सिंहभूम को सूचनार्थ सर्मर्पित।

परियोजना निदेशक,
आत्मा, पूर्वी सिंहभूम।

ज्ञापांक....352..../आत्मा, दिनांक....08....वीं नवम्बर , 2021 ।

प्रतिलिपि : 1. उप विकास आयुक्त–सह–उपाध्यक्ष, आत्मा / उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, आत्मा, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
2. राज्य मिशन निदेशक, (NFSM),, झारखण्ड, राँची।
3. कृषि निदेशक–सह–राज्य नोडल पदाधिकारी (NFSM), झारखण्ड, राँची।
4. सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

परियोजना निदेशक,
आत्मा, पूर्वी सिंहभूम।